न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 89/2018

1. आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रकला देवी पता– खसरा नं0 290 शिक्षा कॉलोनी वार्ड नं0 24 बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
2. रामअवतार शर्मा 1. पता– सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल निहालपुरा बिवाई दौसा–303507 2. पता – खसरा नं0 290 शिक्षा कॉलोनी वार्ड नं0 24 बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री कानसिंह राजावत, प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ।

आदेश

दिनांक: 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्रीमती चन्द्रकला देवी पता– खसरा नं0 290 शिक्षा कॉलोनी वार्ड नं0 24 बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा को 1116640/(रूपये ग्यारह लाख सोलह हजार छः सौ चालीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 290 क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज शिक्षा कॉलोनी वार्ड नं0 24 बांदीकुई जिला दौसा जो कि श्रीमती चन्द्रकला देवी पत्नि श्री रामअवतार शर्मा के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official